संख्या-378/2017/592/22-2-2017-17(192)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2017***

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मारकण्डेय उर्फ अशोक शाही पुत्र श्री बहादुर शाही, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मारकण्डेय उर्फ अशोक शाही पुत्र श्री बहादुर शाही, निवासी-बरियापुर, थाना-कोठीभार, जनपद-महराजगंज का रहने वाला है। बन्दी द्वारा राजनैतिक प्रतिद्वंदिता की रंजिश को लेकर दिनांक 15-06-1987 को 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, गड़ासा, बल्लम, लाठियों एवं ईटों से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-639/1987 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149,379,427 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2, गोरखपुर के आदेश दिनांक 01.12.2009 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 07 वर्ष 08 माह 28 दिन की अपरिहार एवं 08 वर्ष 11 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा 04 व्यक्तियों की एक साथ हत्या होने, मद्दगारों को अपराध के लिए उकसाने, न्याय के प्रति आस्था क्षीण होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है तथा जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी की सामाजिक एवं आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मारकण्डेय उर्फ अशोक शाही (बन्दी संख्या-107/11) पुत्र श्री बहादुर शाही, निवासी-जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-378/2017/592/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in